भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1601

बुधवार, 15 मार्च, 2023 (24 फाल्गुन, 1944 (शक)) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का कार्यकरण

1601. डा. सी. एम. रमेशः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राज्यों में कितनी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) क्रियाशील है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कंप्यूटर प्रदान कर दिए गए हैं; और

(ग) क्या ये कंप्यूटर कार्यशील है और समय-समय पर इनका उन्नयन किया जाता है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): कार्यशील प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) की राज्यवार सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है ।

2,516 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय परिव्यय से देश भर में कार्यशील PACS/ लार्ज एरिया मल्टी-पर्पस सहकारी समितियां (लैम्प्स)/ किसान सेवा समिति (एफ.एस.एस) के कंप्यटरीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना कार्यान्वयनाधीन है । इस परियोजना में सभी कार्यशील PACS को एक ईआरपी (एंटरप्राइज़ आधारित प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर में साथ लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ा जाएगा ।

वर्तमान में, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 54,752 PACS को कंप्यूटरीकृत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 201.18 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी की राशि हार्डवेयर की खरीद, लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण एवं सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए जारी किया गया है । परियोजना अवधि के दौरान PACS को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए एक सहयोग तंत्र की स्थापना की जाएगी । PACS में इंस्टॉल किए गए हार्डवेयर के रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित PACS, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों की होगी जो अनवरत आधार पर परियोजना अवधि की समाप्ति के बाद भी जारी रहेगी । केन्द्रीय अवसंरचना सुविधा व कॉमन सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण व अद्यतन नाबार्ड द्वारा आवधिक रूप से किया जाएगा ।

*****

अनुबंध

कार्यशील PACS की राज्यवार सूची*

'कार्यशील PACS' शब्द उन PACS को कवर करने के लिए समझा जाता है जिनका 31 मार्च, 2022 तक ऑडिट किया जा चुका है।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या
	राज्य	
1	आंध्र प्रदेश	2046
2	अरुणाचल प्रदेश	14
3	असम	775
4	बिहार	3779
5	छत्तीसगढ़	2028
6	गोवा	44
7	गुजरात	6016
8	हरियाणा	646
9	हिमाचल प्रदेश	810
10	झारखंड	1782
11	कर्नाटक	5168
12	केरल	1299
13	मध्य प्रदेश	4536
14	महाराष्ट्र	20788
15	मणिपुर	232
16	मेघालय	128
17	मिज़ोरम	30
18	नागालैंड	150
19	ओडिशा	1239
20	पंजाब	3367
21	राजस्थान	4050
22	सिक्किम	178
23	तमिल नाडु	7**
24	तेलंगाना	727
25	त्रिपुरा	268
26	उत्तर प्रदेश	2330
27	उत्तराखंड	8
28	पश्चिम बंगाल	4173
	संघ राज्यक्षेत्र	
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	41
2	जम्मू और कश्मीर	537
3	लद्दाख	10
4	पुडुचेरी	45
5	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	कोई पैक्स नहीं
6	चंडीगढ़	कोई पैक्स नहीं
7	दिल्ली	कोई पैक्स नहीं
8	लक्ष्यद्वीप	कोई पैक्स नहीं
	कुल	**67251**

* सर्वेक्षण नाबार्ड द्वारा किया गया

** तमिलनाडु के मामले में, PACS की कुल संख्या 4532 के रूप में रिपोर्ट की गई, परन्तु उपरोक्त सारणी में संख्या 7 के रूप में इंगित की गई है क्योंकि राज्य ऋण माफी योजना के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा के संचालन के कारण लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

*****